भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

संदर्भ: आईआरडीए/आईएनटी/सीआईआर/आईबी/206/11/2023 24 नवंबर, 2023
Ref: IRDA/INT/CIR/IB/206/11/2023 24th November, 2023

प्रति / To,

सभी बीमाकर्ता और बीमा दलाल
ALL INSURERS AND INSURANCE BROKERS

बीमाकर्ताओं और बीमा दलालों द्वारा कुछ विवरणियों की फाइलिंग को समाप्त करना
Discontinuation of filing of certain returns by Insurers and Insurance Brokers

आईआरडीएआई (कमीशन का भुगतान) विनियम, 2023 की अधिसूचना के अनुसरण में इसके द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि बीमाकर्ताओं और बीमा दलालों से यह अपेक्षित नहीं है कि वे प्राधिकरण को निम्नलिखित विवरणियाँ और प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें :
Pursuant to notification of the IRDAI (Payment of Commission) Regulations, 2023, it is hereby clarified that insurers and insurance brokers are not required to furnish the following returns and certificates to the Authority:

1. **बीमा दलालों के द्वारा विवरणियाँ / Returns by Insurance Brokers:**

   आईआरडीएआई (बीमा दलाल) विनियम, 2018 के विनियम 39 के उप-विनियम (1) के खंड (घ) के अनुसार विवरणियाँ, इस पुष्टीकरण से संबंधित एक प्रमाणपत्र (उक्त विनियमों के अनुबंध I-डी के अनुसार) के साथ कि बीमा दलाल ने उपर्युक्त विनियमों के विनियम 26 में दी गई निर्धारित सीमाओं के अंदर प्रत्यक्ष बीमा व्यवसाय के लिए पारिश्रमिक प्राप्त किया है।
   Returns as per the Clause (d) of sub regulations (1) of Regulations 39 of the IRDAI (Insurance Brokers) Regulations, 2018 with a certificate (as per Annexure I-D of the said regulations) related to the confirmation that the insurance broker has received remuneration for direct insurance business within the prescribed limits outlined in Regulation 26 of the said regulations.

2. **बीमा दलालों के द्वारा प्रमाणीकरण / Certification by Insurance Brokers:**

   इस पुष्टीकरण के संबंध में प्रधान अधिकारी और सीएफओ (अथवा समकक्ष) के द्वारा समर्थित प्रमाणपत्र (आईआरडीएआई (बीमा दलाल) विनियम, 2018 की अनुसूची II – फार्म डब्ल्यू) कि बीमाकर्ता से प्राप्त पारिश्रमिक और अन्य भुगतान उपर्युक्त विनियमों के विनियम 34 के उप-विनियम (9) के अनुसार निर्धारित सीमाओं के अंदर हैं।
   Certificate (Schedule II – Form W of the IRDAI (Insurance Brokers) Regulations, 2018) endorsed by Principal Officer and CFO (or equivalent), related to the confirmation that the remuneration and other payments received from the insurer are within the specified limits as per sub regulations (9) of the regulation 34 of the said regulations.

3. **बीमा दलालों को नियुक्त करनेवाले बीमाकर्ताओं द्वारा प्रमाणपत्र:**
Certificate by Insurers engaging Insurance Brokers:

बीमाकर्ता के सीईओ और सीएफओ द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र (आईआरडीएआई (बीमा दलाल) विनियम, 2018 की अनुसूची II – फार्म डब्ल्यू), प्रत्येक दलाल के लिए अलग-अलग, यदि दलाल को अदा किये गये पारिश्रमिक और अन्य भुगतान उपर्युक्त विनियमों के विनियम 34 के उप-विनियम (9) के अनुसार निर्धारित सीमाओं से अधिक हों।
Certificate (Schedule II – Form W of the IRDAI (Insurance Brokers) Regulations, 2018) signed by the CEO and CFO of the insurer, separately for each broker, if the remuneration and other payments made to the broker exceed the stipulated limits as per sub regulation (9) of Regulation 34 of the said regulations.

इसे सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।
This has approval of the Competent Authority.

जे. अनिता

(अनीता जोस्युला / Anita Josyula)
मुख्य महाप्रबंधक (मध्यवर्ती) / CGM (Intermediaries)